

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax-07432-232230, E-mail- dcfjhalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2018-19/10206
निमित्त:-

दिनांक: 26-6-19

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

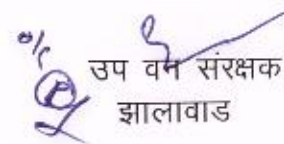
विषय :- Construction of Lilo from 220 Kv S/C Jhalawar-Chhabra line
at proposed 220 Kv GSS Aklera dist. Jhalawar (Proposal No.
FP/RJ/TRANS/37434/2018)

प्रसंग :- आपका कार्यालय पत्रांक एफ 13 (वन संरक्षण) समुवसं/2019/4023 दिनांक
21.06.2019 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र से पार्ट-गा में साइट निरीक्षण दिनांक
13.12.2018 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन कारित होने पर यूजर एजेन्सी (आर.वी.
पी.एन कोटा) के खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज की गयी है। स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में एफ.आई.आर
की दिनांक सहवन से गलत दर्ज कर दी गई थी। साइट निरीक्षण रिपोर्ट में दिनांक में संशोधन
कर हस्ताक्षर करवा पुनः ऑनलाईन अपलोड कर दी गयी है तथा हार्ड कॉपी संलग्न अधिन
कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्न स्थल निरीक्षण रिपोर्ट।

भवदीय


उप वन संरक्षक
झालावाड़